

संविधान की प्रमुख विशेषताएँ Salient features of the constitution

संविधान के स्रोत Sources of the constitution

हमारा संविधान जिस 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने मंजूर किया तथा जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, कुछ निश्चित स्रोतों की देन है।

ब्रिटिश, संसद द्वारा निर्मित अधिनियम (Laws made by the British parliament) ब्रिटिश शासकों ने भारत पर शासन करने हेतु कानूनी व्यवस्था स्थापित की, जिसका इतिहास 1773 के रेगुलैटिंग एक्ट (Regulating act) से लेकर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक जाता है। इनमें 1919 व 1935 के भारत सरकार अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1919 के एक्ट या माउंटबेट्टे सुधारों ने द्वि-सदनात्मक संसद स्थापित की जो स्वतंत्रता के आगमन तक चली। विदेशी संविधानों से ली गयी व्यवस्थाएँ ; Systems borrowed from foreign constitutions

हमारे संविधान - निर्माताओं ने इस सूत्र को माना कि जहाँ से गुण मिलें, उसे गुण किया जाय। वे संविधानिक व्यवस्थाओं की व्यापक जानकारी रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपने देश की आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुकूल व्यवस्थाओं की व्यापक जानकारी रखते थे। इसीलिए उन्होंने अपने देश की आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुकूल जो हीक समझा उसे अन्य देशों के संविधानों से प्राप्त किया।

संविधान सभा की चर्चाएँ (Debates at the constituent assembly)